कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 8298 /पटना, दिनांक 16.09.2025

01.–07/नि॰ CCMS/2023 E-267970

प्रेषक,

रजनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से.
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (खादी एवं बुनकर सहित)।
सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक।
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक, अशोक राजपथ, पटना।

विषय :– न्यायिक वादों में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि न्यायिक वादों में ससमय प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर नहीं किए जाने के कारण मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में विभाग को निरन्तर असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जो अत्यंत खेदजनक है।

उक्त के संबंध में विभागीय स्तर पर आयोजित बैठक में समीक्षोपरांत इस आशय का निर्णय लिया गया कि दिनांक 31.08.2025 तक प्राप्त सभी वादों में दिनांक 10.10.2025 तक प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर कर ली जाए।

तदनुसार निदेशित है कि दिनांक 31.08.2025 तक प्राप्त सभी विभागीय लंबित वादों में दिनांक 10.10.2025 तक प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में यथानियम अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने पर विचार किया जाएगा।

चूँकि अपेक्षित कार्रवाई हेतु समय सीमा निर्धारित है अतः प्रस्तुत पत्र के प्रसंग में स्मारित किए जाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

16/9/25

(रजनीश कुमार सिंह)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 8298 /पटना, दिनांक 16.09.2025

01.–07/नि॰ CCMS/2023 E-267970

प्रतिलिपिः– विभागीय आई.टी प्रबंधक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को उनके ई–मेल पर संसूचित किए जाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/9/25

निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner